

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

पत्रांक - 629

प्रधान,

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

रोवा में,


M/s Singh Construction,  
At....Pallavpuria, Station Road  
Ram Nagar, Ashiyana Nagar  
Patna.....

विषय:-GTSNY योजनान्तर्गत Achhua Mahadalit Tola to Achhua Beldari Tola पथ का  
अनुरक्षण कार्य नहीं करने के सबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में कहना है कि विषयाकृत पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा  
एकरारनामा संख्या 37/SBD/GTSNY/2017-18 के अधीन पूर्ण किया गया है। एकरारनामा के  
अनुसार पूर्णता की तिथि से पाँच वर्ष तक अनुरक्षण कार्य आपको करना है तथा पथ को Defect  
Free हालत में रखना है। परन्तु आपके द्वारा एकरारनामा के अनुसार पचवर्षीय अनुरक्षण कार्य  
नियमित / पूर्ण रूप से नहीं कराया जा रहा है, जो काफी खेदजनक है। अनुरक्षण के अभाव में  
सरकारी सम्पत्ति का हास हो रहा है तथा आवागमन में कठिनाई हो रही है। जिसके लिए आप  
पूर्णतः जिम्मेदार हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र बिर्मंत की तिथि से सात दिनों के अन्दर<sup>प्राप्ति</sup>  
एकरारनामा के अनुसार सबधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के पर्यवेक्षण में अनुरक्षण  
कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आठवें दिन से पैदहवें दिन के बीच पथ की अतिम  
मापी ले ली जायेगी। मापी की तिथि की सूचना एक दिन पूर्व आपको दी जायेगी। मापी के समय  
आपकी अथवा आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ससमय उपस्थित नहीं रहने पर  
आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। तदोपरान्त एकरारनाम के Clause of Contract के SBD  
Clause में निहित सुसंगत कड़िकाओं के आलोक में एकरारनाम को विखंडित करते हुए अग्रधन एवं  
जमानत की राशि जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही निवधन को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा  
कर दिया जायेगा। अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा तथा राशि की  
दसूली आपके जमानत एवं अन्य जप्त राशियों से किया जायेगा।

विश्वासमाजन

  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज